न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी :श्री गोपाललाल स्वर्णकार आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या :– 23/2013(राजस्व वाद) दायर दिनांक– 16.1.2013

फैसल दिनांक :– 28/3/18

अनवान

1– मोहन पिता ताजू सरपोटा मीणा निवासी मटुवेट प0ह0 बरबूदनिया तहसील सागवाडा (वादी)

बनाम

1–नाथी पूत्री हुका मीणा हाल निवास अपने पति श्री दिपा डामोर गांव काहाल फला नालवाडा तहसील सागवाडा

2– उपपंजियन अधिकारी सागवाडा

3– श्रीमान लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सागवाडा

(प्रतिवादीगण)

वकील वादी – श्री अशोक कंसारा

वकील प्रतिवादी –श्री चन्द्रशेखर शुक्ला

दावा बाबत जारी किये जाने स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 रा0टि0एक्ट

निर्णय

वाद वाद वादी संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा विराट में स्थित आराजियात हाल जमाबंदी अनुसार खाता संख्या नया 213 व पुराना 207 है कुल खसरा नम्बर 2 एवं रकबा 4.03 बिधा (चार बिधा तीन बिस्वा) है जो कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक संपत्ति है, जो प्रतिवादी के पिता हुका मीणा के कब्जे खातें में आई है जिसकी खातेदार वारीस प्रतिवादी संख्या 1 एकमात्र है एवं अन्य खातेदारो की मृत्यु हो चुकी है। यह की वादी के दादाजी स्व0 श्री हकरा मीणा के कुल 2 संताने हुई उसी अनुसार हकरा ने अपनी पैतृक संपत्ति का 1/2 एवं 1/2 हिस्से में विभाजन किया था। एवं उसी के अनुसार उपरोक्त संपत्ति के खाता नंबर पडे जो खाता संख्या 213/207 प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के हिस्से में आया वर्तमान में प्रतिवादी के 2 भाईयो की मृत्यु हो चकी है केवल प्रतिवादी ही वादग्रस्त आराजी की खातेदार होकर काश्तकार है। यह कि वादी के दादाजी ने संपुर्ण आराजी के 2 हिस्से किए थे उनके सभी खसरा नम्बर की भूमि एकचक होकर पास पास में स्थित है एवं जिन पर वादी एवं प्रतिवादी के पारिवारीक सदस्य काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे है। जिसमें किसी अन्य व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप अथवा दखलंदाजी नही है।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

यह कि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 अपनी खातेदारी वादग्रस्त कृषि भूमि को विक्रय करना चाहती है परंतु प्रतिवादी ने अपने पिता के हिस्सें की कृषि भूमि को अपने कुटुंब परिवार के सदस्यों को विक्रय नही करके किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करने की योजना बना रही है। प्रतिवादी के हम पारिवारीक सदस्यो ने प्रतिवादी को काफी समझाया कि वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी अपने परिवार के ही किसी सदस्य को विक्रय करे किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय नही करे। इस पर प्रतिवादी ने कहा कि मेरी मर्जी के हिसाब से मै मेरे खाते की भूमि को विक्रय करूगी आप लोग मुझे नही रोक सकते।

यह कि वादी एवं प्रतिवादी अपने अपने कब्जे हिस्से की खातेदारी भूमि पर काबिज होकर स्वतंत्र रूप से शांतिपूर्वक कृषि कार्य कर रहे है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की कोई दखलंदाजी नही है यदि प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करती हो तो वादी एवं उसके पारिवारीक सदस्यों के स्वतंत्र कब्जे एवं कृषि कार्य में अनावश्यक व्यवधान एवं दखलंदाजी उत्पन्न होगी जिससे वादी एवं उसके पारिवारीक सदस्यो को कृषि कार्य करने में असुविधा बनी रहेगी। क्योकि वादग्रस्त आराजी एवं वादी की अन्य पैतृक आराजी के खेत पास–पास में ही स्थित है। यह कि प्रतिवादी के खातें हिस्से कि उक्त वादग्रस्त आरजी को वादी एवं उसके कुटुंबी सदस्य वर्तमान में प्रचलित बाजार दरो के अनुसार खरीदने को तत्पर है परंतु फिर भी प्रतिवादी किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करने के लिए आमदा है। जबकि अन्य व्यक्ति जो क्रय मूल्य अदा करेगा वही मूल्य वादी भी अदा करने के लिए तत्पर है। यह कि वादी के स्वतंत्र कब्जे हिस्से एवं कृषि कार्य में किसी प्रकार की रूकावट एवं व्यवधान उत्पन्न नही हो इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व न्यायहित में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी यदि अपने हिस्से कि भूमि विक्रय करना चाहती है तो क्रेता के रूप में प्रथम अधिकार वादी अथवा वादी के कुटुंबी सदस्यो को दिया जावे क्योंकि वादग्रस्त आराजी एवं अन्य पैतृक आराजी के खेत पास–पास ही स्थित है ऐसी स्थिसति में वादी के स्वतंत्र कब्जे काश्त में अन्य व्यक्ति द्वारा भविष्य में वाद–विवाद उत्पन्न होते रहने कि संभावना बनी रहेगी तथा अन्य का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दखलंदाज भी बना रहेगा। यह कि प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त आराजी का विक्रय उसके पारिवारीक सदस्यों को जिसमें वादी भी सम्मिलित है नही किया जाकर किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिवादी विक्रय करना चाहती है जिस कारण से वादहेतुक उत्पन्न हुआ है।

वादी ने वाद के अन्त में निवेदन किया है कि मौजा विराट में स्थित वादग्रस्त आराजी जिसका खाता संख्या 213/207 खसरा नंबर 2563,2568(कुल किता 2) एवं कुल रकबा 4.03 बीधा(चार बीधा ती बिस्वा) कृषि भुमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक संपत्ति है जो वादी एवं प्रतिवादी के दादाजी स्व0 श्री हकरा मीणा के द्वारा किए गए 1/2 एवं 1/2 हिस्सों के अनुसार एक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के अनुसार वर्तमान में प्रतिवादी 1 के खाते हिस्से आई है जो कि प्रतिवादी संख्या 1 उक्त वादग्रस्त आराजी को वादी अथवा वादी के

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

पारिवारीक सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करना चाहती है परंतु वादग्रस्त आराजी एवं अन्य वादी की पैतृक कृषि भूमि के खेत पास पास में स्थित होने से प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 के खाते की वादग्रस्त आराजी को यदि प्रतिवादी विक्रय करना चाहती है तो वह किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय नही करके वादी अथवा वादी के कुटुंबी सदस्यो को ही विक्रय की जावें ताकि वादी के स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की रूकावट अथवा व्यवधान उत्पन्न नही हो सके।

यह कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य मूल वाद के निस्तारण तक प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी का विक्रय वादी अथवा वादी के पारिवारीक सदस्यों को नही करते हुए किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करती है तो ऐसे में किसी अन्य व्यक्ति के नाम रजिस्टर्ड विक्रय नामा संपादित नही करे।

यह कि प्रतिवादी संख्या 3 को आदेशित किया जावें कि वह प्रतिवादी संख्या 1 को पावंद करावे कि मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी का विक्रय वादी अथवा वादी के पारिवारीक सदस्यो के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नही करे।

वादी द्वारा वाद के समर्थन में शपथ पत्र पेश करते हुए दस्तावेज जमाबंन्दी खाता नम्बर 213/207 की नकल एवं श्री रामजी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी गण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी गण कि और से जवाब प्रस्तुत होने पर निम्नांकित तनकियात कायम की गईः—

1— आया वादी मौजा विराट के वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 213/207 खेत किता 2 रकबा 4.03 भूमि का सहखातेदार है ?(वादी)

2— आया वाद में विवादित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है? (वादी)

3— आया जवाब दावा में वादी गण ने वाद त्रुटी पूर्ण पेश किया है जिससे दावा काबिल निरस्त कराने का अधिकारी है ?(प्रतिवादी)

4— दादरसी ?

उपरोक्तानुसार तनकियात कायम की जाकर साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई वकील वादी की और से गवाह मोहन एवं कानजी तथा पेमजी का बयान शपथ पत्र पेश किया गया ।उक्त गवाहान से वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह उपरान्त वकील वादी द्वारा और साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से साक्ष्य वादी समाप्त करने से साक्ष्य प्रतिवादी प्रारम्भ की गई ।वकील प्रतिवादी ने गवाह नाथी के बयान करा साक्ष्य प्रतिवादी समाप्त करने से वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
बागीदौरा

Scanned by CamScanner

विद्वान अभिभाषक वादी ने वाद वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए पूरी जमीन एक ही चक में होना, कोई दुसरा प्रवेश न करे तथा वादीगण बाजार दर से क्रय किये जाने हेतु तैयार होना बताते हुए वादवादी स्वीकार किये जाने निवेदन किया ।

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी ने अपनी बहस में कृषि भूमि पर हकसफा लागु नही होना, वादीगण कितना विक्रय मुल्य देने को तैयार होना नही दर्शाया जाना, सिविल न्यायालय में प्रकरण चलने से यहा प्रथक से प्रकरण वादीगण द्वारा क्यो प्रस्तुत करना एवं भविष्य की घटनाओं के आधार पर वाद नही लाया जा सकने सें वाद वादी खारिज किया जाने निवेदन किया गया।

हमने प्रत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है।

तनकी नम्बर 1– आया वादी मौजा विराट के वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 213/207 खेत किता 2 रकबा 4.03 भूमि का सहखातेदार है?(वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी को है। पत्रावली के सलंग्न जमाबंदी मौजा विराट खाता सख्यां 213/207 प्रदर्श 1 में खतेदार के स्थान पर रामजी, नाथी पिता हुका भील दर्ज है। उक्त प्रर्दश 1 में वादी मोहन पिता ताजु सहखातेदार दर्ज रेकार्ड नही है।वादी स्वयं ने वाद पत्र में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी एवं अन्य वादी की पैतृक कृषि भूमि के खेत पास पास में स्थित है । सहखातेदार होने के कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नही किये गये है अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2– आया वाद में विवादित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी को है। विवादित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1सहखातेदार दर्ज रेकार्ड है। तनकी संख्या 1 के उल्लेखानुसार वादी वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार नही है। वादी ने अपने वाद में भूमि एक चक होकर पास पास में स्थित होना तथा प्रतिवादी संख्या 1 अपने पिता के हिस्से की कृषि भूमि को अपने कुटुंब परिवार के सदस्यों को विक्रय नही कर किसी अन्य को विक्रय की योजना बनाना, विक्रय की जाने वाली भूमि वर्तमान में प्रचलित बाजार दर के अनुसार खरिदने को तैयार होना बताया है। वाद ग्रस्त आराजी की प्रतिवादी संख्या 1 सहखातेदार है। हम वकील प्रतिवादी की बहस से सहमत है कि कृषि भूमि पर हकसफा लागु नही होता है। क्योकि प्रदर्श 1 में वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि दर्ज है एवं कृषि भूमि पर हकसफा लागु नही होता है जिससे वादी प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही होने से यह तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 3– आया जवाब दावा में वादी गण ने वाद त्रुटी पूर्ण पेश किया है जिससे दावा काबिल निरस्त कराने का अधिकारी है ?(प्रतिवादी)

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी को है। वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में गटु को पक्षकार नही बनाना, वादकारण कब पैदा हुआ नही बताना,भविष्य की घटनाओं के आधार पर वाद नही लाया जा सकना एवं कृषि भूमि पर हकसफा लागु नही होने से वाद त्रुटी पूर्ण होकर काबिले खारिज होना बताया है। वकील वादी द्धारा अपनी साक्ष्य,वादपत्र एवं बहस में मात्र पूरी जमीन एक चक में होना,गटु को पक्षकारान नही बनाना कोई दुसरा प्रवेश न करे तथा बाजार किमत देने को तैयार होना बताया है। हम वकील प्रतिवादी द्धारा प्रस्तुत जवाब एवं बहस से सहमत है कि कृषि भूमि पर हकसफा लागु नही होता है तथा भविष्य की घटनाओं के आधार पर वाद नही लाया जा सकना से सहमत है ।अतः वाद त्रुटी पूर्ण होने से काबिले खारिज है अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

4— दादरसी?

क्योंकि कृषि भूमि पर हकसफा लागु नही होता है एवं वादी द्वारा वादपत्र साक्ष्य अथवा बहस में विक्रय मुल्य नही दर्शाया जाने से वाद निरस्त योग्य है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन से तनकी संख्या 1 से 4 वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित होने से वादवादी खारिज किया जाता है।

डिग्री पर्चा जारी हो। निर्णया आज दिनांक 28.3.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner